



ब्लू कॉर्नर नोटिस

drishtias.com/hindi/printpdf/blue-corner-notice

प्रीलिम्स के लिये:

इंटरपोल, CBI, ब्लू कॉर्नर नोटिस, इंटरपोल द्वारा जारी नोटिस

मेन्स के लिये:

इंटरपोल का अंतर्राष्ट्रीय पुलिस व्यवस्था में योगदान

चर्चा में क्यों?

22 जनवरी, 2019 को इंटरपोल (Interpol) ने भगोड़े नित्यानंद का पता लगाने में मदद करने के लिये एक ब्लू कॉर्नर नोटिस (Blue Corner Notice) जारी किया।

महत्त्वपूर्ण बिंदु

- गुजरात पुलिस द्वारा इंटरपोल से इस संदर्भ में हस्तक्षेप किये जाने की मांग के बाद इस संस्था ने भगोड़े नित्यानंद का पता लगाने में मदद करने हेतु एक ब्लू कॉर्नर नोटिस जारी किया है।
- ध्यातव्य है कि नित्यानंद बलात्कार और यौन शोषण का आरोपी है तथा उसने भारत से भाग कर कथित तौर पर 'कैलासा' नामक एक नए देश का गठन किया है।
- भविष्य में इसके खिलाफ गिरफ्तारी से संबंधित रेड कॉर्नर नोटिस भी जारी किया जा सकता है।

इंटरपोल द्वारा जारी नोटिस:

इंटरपोल द्वारा जारी किया जाने वाला नोटिस सदस्य देशों में पुलिस को अपराध से संबंधित महत्त्वपूर्ण जानकारी साझा करने में सहयोग या अलर्ट (Alert) के लिये अंतर्राष्ट्रीय अनुरोध होता है।

नोटिस के प्रकार: इंटरपोल द्वारा मुख्यतः 7 प्रकार के नोटिस जारी किये जाते हैं-

- **रेड नोटिस (Red Notice):** यह नोटिस सभी इंटरपोल सदस्य देशों में संदिग्धों को ट्रैक करने और गिरफ्तार करने के लिये सुरक्षा एजेंसियों को अनुमति देता है ताकि उनके खिलाफ प्रत्यर्पण की कार्रवाई शुरू की जा सके।

- **येलो नोटिस (Yellow Notice):** लापता नाबालिगों को खोजने या उन व्यक्तियों की पहचान करने (जो स्वयं को पहचानने में असमर्थ हैं) में मदद के लिये।
- **ब्लैक नोटिस (Black Notice):** अज्ञात शवों की जानकारी लेने के लिये।
- **ग्रीन नोटिस (Green Notice):** किसी ऐसे व्यक्ति की आपराधिक गतिविधियों के बारे में चेतावनी जारी करना, जिसे सार्वजनिक सुरक्षा के लिये संभावित खतरा माना जाता है।
- **ऑरेंज नोटिस (Orange Notice):** किसी घटना, व्यक्ति, वस्तु या प्रक्रिया को सार्वजनिक सुरक्षा के लिये एक गंभीर और आसन्न खतरा मानकर चेतावनी देने के लिये।
- **पर्पल नोटिस (Purple Notice):** अपराधियों द्वारा उपयोग किये जाने वाले स्थानों, प्रक्रियाओं, वस्तुओं, उपकरणों, या उनके छिपने के स्थानों के बारे में जानकारी प्रदान करने के लिये।
- **ब्लू नोटिस (Blue Notice):** यह नोटिस किसी अपराध के संबंध में व्यक्ति की पहचान, स्थान या गतिविधियों के बारे में अतिरिक्त जानकारी एकत्र करने के लिये जारी किया जाता है।
- **इंटरपोल-संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद विशेष नोटिस:** उन समूहों और व्यक्तियों के लिये जारी किया जाता है जो समूह और व्यक्ति UNSC (United Nation Security Council) प्रतिबंधों के अधीन हैं।



क्या है ब्लू कॉर्नर नोटिस?

- यह नोटिस किसी अपराध के संबंध में व्यक्ति की पहचान, स्थान या गतिविधियों के बारे में अतिरिक्त जानकारी एकत्र करने के लिये जारी किया जाता है।
- ध्यातव्य है कि केंद्रीय जाँच ब्यूरो (I) की वेबसाइट पर ब्लू नोटिस को 'B सीरीज़ (ब्लू) नोटिस' के रूप में संदर्भित किया गया है। 'बी' शृंखला नोटिस को 'जाँच नोटिस' भी कहा जाता है और इसे किसी की पहचान सत्यापित करने, किसी व्यक्ति के आपराधिक रिकॉर्ड का विवरण प्राप्त करने या किसी ऐसे व्यक्ति जो लापता या अज्ञात अंतर्राष्ट्रीय अपराधी है या सामान्य आपराधिक कानून के उल्लंघन के लिये दोषी है, का पता लगाने या प्रत्यर्पण के अनुरोध के लिये जारी किया जा सकता है।

इंटरपोल के बारे में

- इंटरपोल (Interpol) का पूरा नाम अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संस्था (International Criminal Police Organization) है।
- यह एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जो विभिन्न देशों की पुलिस के बीच सहयोग कर अंतर्राष्ट्रीय अपराधियों को पकड़ती है।
- इसका मुख्यालय फ्रांस के लियोन (Lyon) शहर में है।

